न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह आर0ए0एस

मुकदमा नं0 33 / 2023

उमराव कंवर पत्नि कुमेरदान जाति चारण नि0 सांखलों का बास तह0 जोबनेर

वादीया

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर (जयपुर ग्रामीण) राज0।
2. जयसिंह पुत्र रामप्रताप दान जाति चारण
3. सोहनलाल पुत्र नानगराम जाति जाट

निवासीयान सांखलों का बास तह0 जोबनेर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :— श्री रामसिंह विद्वान अधिवक्ता वादीया

दिनांक :— 16 / 10 / 2024

निर्णय

वादीया ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 9 / 1 / 2.01 हैक्टर बांके ग्राम सांखलों का बास तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादीया का हिस्सा 19 / 318 एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का हिस्सा 19 / 318 एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 का हिस्सा 140 / 159 है। उक्त आराजी को वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ने 15.12.2005 को संयुक्त रूप से मंशाराम पुत्र मांगू से क्रय की थी। उक्त आराजी को काफी अरसे से पूर्व क्रय किया था। उस वक्त टाइपिंग गलती से उमराव कंवर की जगह उमा कंवर दर्ज हो गया। वादीया ग्रामीण परिवेश की महिला है। वादीया का राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, चैक पासबुक में नाम उमराव कंवर दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण मुझे ऋण सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा रिकार्ड शुद्धि के काफी प्रयास किए गये। परन्तु राजस्व रिकार्ड शुद्ध नहीं किया गया। इसलिए मुझे यह वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है। अतः दावा वादीया का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 9 / 1 / 2.01 हैक्टर बांके ग्राम सांखलों का बास तह0 जोबनेर में वादीया का नाम उमाकंवर पत्नि कुमेरदान के स्थान पर उमराव कंवर पत्नि कुमेरदान किये जाने के आदेश प्रदान किए जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 21/08/2023 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब तथा फर्द मौका रिपोर्ट इस आशय की पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 9/1/2.01 हैक्टर बांके ग्राम सांखलों का बास तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादीया का हिस्सा 19/318 एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का हिस्सा 19/318 एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 का हिस्सा 140/159 है। उक्त आराजी को वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ने 15.12.2005 को संयुक्त रूप से मंशाराम पुत्र मांगू से क्रय की थी। उक्त आराजी को काफी अरसे से पूर्व क्रय किया था। उस वक्त टाइपिंग गलती से उमराव कंवर की जगह उमा कंवर दर्ज हो गया था। ग्राम में उपस्थित मौतविरानों ने बताया है कि उमराव कंवर एवं उमाकंवर एक ही महिला के दो नाम है। जिसका सही नाम उमराव कंवर है।

वादीया ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–77 तथा शपथ पत्र स्वयं वादीया पेश किया है। इसके साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 2 ने वादीया के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। सरपंच, ग्राम पंचायत बस्सी नागा प0स0 जोबनेर के पत्र दिनांक 09.10.2023 द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि श्रीमती उमराव कंवर व उमा कंवर पत्नि स्व0 श्री कुमेरदान जाति बारेठ निवासी ग्राम सांखलों का बास ग्राम पंचायत बस्सीनागा तह0 जोबनेर की रहने वाली है। उमराव कंवर व उमा कंवर एक ही महिला को दोनों नामों से जाना जाता है।

बहस वकील वादीया सुनी गई। वकील वादीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है।

हमने वकील वादीया की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। आराजी खसरा नम्बर 9/1/2.01 हैक्टर बांके ग्राम सांखलों का बास तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादीया का हिस्सा 19/318 एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का हिस्सा 19/318 एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 का हिस्सा 140/159 है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम उमाकंवर पत्नि कुमेरदान दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं निर्वाचन पहचान पत्र में वादीया का नाम उमराव कंवर पत्नि कुमेरदान दर्ज है। ग्राम में उपस्थित मौतविरानों ने बताया है कि उमराव कंवर एवं उमाकंवर एक ही महिला के दो नाम है। जिसका सही नाम उमराव कंवर है। सहखातेदार ने भी शपथ पत्र पेश कर वादीया का नाम शुद्ध करने में सहमति जताई है। सरपंच ग्राम पंचायत बस्सी नागा पं0स0 जोबनेर द्वारा भी यह प्रमाणित किया गया है कि उमराव कंवर एवं उमा कंवर पत्नि स्व0 कुमेर दान एक ही महिला के दो नाम है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण वादीया को ऋण सुविधाओं से

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वंचित रहना पड रहा है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उमाकंवर पत्नि कुमेरदान के स्थान पर उमराव कंवर पत्नि कुमेरदान दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 16/10/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/10/2024

(मुकुट सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर